# न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

अंजना देवी बनाम राजविलास

किस्म मुकदमा 225 LRA मु. नं० 62 वर्ष 2021

| दिनांक | आज्ञा पत्र | |
|---|---|---|
| 3-8-21 | अपील दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर वकील अपीलांट को सुना गया। प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 99/2014 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 01.07.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। प्रस्तुत अपील अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्व है। यद्यपि अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्व इस स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है तथापि विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में आदेश 39 नियम 3 की पालना सुनिश्चित नही की गई है। अत आदेश 39 नियम 3 की पालना में विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित प्रकरण धारा 212 को आगामी दो माह में अन्तिम रूप से निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये जाते है। प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br><br>(हस्ताक्षर)<br>(राजवीर सिंह चौधरी)<br>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं<br>पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,<br>सीकर<br><br>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर | |